भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4575

उत्तर देने की तारीख : 19.03.2026

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की नीति

4575. डॉ. थोल तिरूमावलवन :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के संबंध में किसी नीति की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा ऐसी नीति अपनाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) पर कोई विशिष्ट नीति की घोषणा नहीं की है। अत: ऐसी नीति को अपनाने के लिए किसी समय सीमा के निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

हालांकि, भारत सरकार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को लागू करती है, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कुछ छूट/रियायतें दी गई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) घरेलू उत्पादन को बाधित न करे। कुछ प्रमुख छूट और रियायतें निम्नलिखित है:-

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए अतिरिक्त समय : सूक्ष्म उद्यमों के लिए 6 महीने के समय का विस्तार और लघु उद्यमों के लिए 3 महीने का विस्तार।
- निर्यातोन्मुखी उत्पादों के उत्पादन के लिए घरेलू निर्माताओं द्वारा आयात पर छूट।
- अनुसंधान एवं विकास संबंधी उद्देश्यों के लिए 200 इकाइयों तक के आयात पर छूट।
- लागू होने की तिथि से छह महीने के भीतर पुराने स्टॉक (कार्यान्वयन से पहले निर्मित या आयातित) के निपटान का प्रावधान।
